न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 51/19 (धारा 76 भू राज0भू.अधि0 1956) (RCMS No.2019/00057)

रोशनलाल पुत्र श्री गंगाशरण जाति जांगिड निवासी ग्राम पथैना तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

वनाम

1. श्रीमती भगवानदेई पुत्री गंगासरण पत्नी चन्द्रशेखर जाति जांगिड निवासी ग्राम पथैना हाल निवासी वन्दुकीया गली चौवुर्जा वाजार भरतपुर।
2. ग्राम पंचायत पथैना पंचायत समिति वैर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पथैना पंचायत समिति वैर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपजिला कलक्टर भुसावर दिनांक 19.3.2019 वसिलसिले नामान्तरकरण संख्या 1698

उपस्थितिः–

1. श्री भूपेन्द्रसिंह वकील अपीलान्ट
2. श्री ललता प्रसाद वकील रैस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः– 05.09.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 उप जिला कलक्टर भुसावर के निर्णय दिनांक 19.3.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं ग्राम पंचायत पथैना पंचायत समिति वैर के द्वारा दिनांक 20.10.1999 को मृतक गंगाशरण की आराजी का विरासतन नामान्तकरण संख्या 1698 स्वीकार किया गया था। इसके विरूद्ध रेस्पोडेन्टा भगवानदेई द्वारा प्रथम अपील तहत अदालत के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि आराजी खसरा नम्बर 137/1.19, 1141/1.00, 1697/3.03, 1712/1.13, वाकै ग्राम पथैना तहसील भुसावर में स्थित है। जिसका खातेदार गंगाशरण पुत्र रामहेत जाति जांगिड नि0 पथैना रहा है, जो गंगाशरण की खातेदारी में छोडी गई आराजी है। जिसका नामान्तरकरण संख्या 1698 तारीख 20.10.1999 ग्राम पंचायत पथैना रैस्पोडेन्ट संख्या 2 ने खिलाफ मौका व खिलाफ कानून के पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रोशनलाल द्वारा अपनी बहिन भगवानदेई पुत्री गंगाशरण द्वारा लिखित जो स्टाम्प ग्राम पंचायत में पेश किया गया था एवं इसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह गलत है, क्योंकि भगवानदेई द्वारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टाम्प हक त्याग के संबंध में पेश नहीं किया गया था और ना ही रैस्पोडेन्ट की ओर से उक्त भूमि को कय किया गया था। उपरोक्त नामान्तरण संख्या 1698 के कायम रहने से अपीलान्ट भगवानदेई अपनी पैतृक आराजी से महरूम हो रही है, अतः नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

5-9-2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

उपखण्डाधिकारी भुसावर द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.3.2019 पारित किया। जिसमें अपील अपीलान्ट आशिंक स्वीकार करते हुये नामान्तरकरण संख्या 1698 निरस्त कर प्रकरण पुनः विधिवत सुनवाई हेतु तहसीलदार भुसावर को रिमाण्ड किया गया है। इस आदेश के विरूद्ध उक्त अपील अपीलान्ट की ओर से पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.03.2019 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अदालत मातहत ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि रैस्पोडेन्ट की ओर से मियाद बाहर अपील पेश की गई थी। इसके बाबजूद भी रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय से नामांतकरण निरस्त किए जाने में कानूनी भूल की है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि ग्राम पंचायत की ओर से अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1698 दिनांक 20.10.1999 पूर्ण विधिवत प्रकिया अपनाने के बाद तस्दीक किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैद्यानिकता नहीं है। रैस्पोडेन्ट जो कि अदालत मातहत में अपीलान्ट थी, के द्वारा अपीलान्ट के हक में अपना हक त्याग (रिलीजडीड) दिनांक 21.11.1997 को किया गया था। इसके आधार पर ही ग्राम पंचायत द्वारा नामांतकरण तस्दीक किया गया था। अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 1698 दिनांक 20.10.1999 की रैस्पोडेन्ट को पूर्व से जानकारी थी। इसके बाबजूद भी रैस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत में मियाद के बाहर अपील पेश की थी तथा अदालत मातहत में मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किए बिना ग्राम पंचायत की ओर से पारित किए गए नामांतकरण को निरस्त किया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। वकील अपीलान्ट ने 2010 (1) आर.आर.टी पेज 625–626 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि 6 वर्ष के विलम्ब के बाद पेश की गई अपील जिसमें विलम्ब के सम्मन हेतु पर्याप्त व उचित कारण नहीं दिए गए थे, में मियाद संबंधी बिन्दु को विवेचित किए बिना नामांतकरण को निरस्त किए जाने के आदेश को उचित नहीं माना गया है। अतः इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। न्यायालय तहत ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय इस बिन्दु पर भी गौर नहीं किया कि आराजी खसरा नम्बर 1137 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा, 1141 रकबा 1 बीघा, 1697 रकबा 3 बीघा 3 विस्वा, 1712 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा वाकै ग्राम पथैना तहसील वैर पर अपीलान्ट रोशनलाल अपने पिता के समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार है। न्यायालय तहत ने अपना निर्णय पारित करते समय इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर भी गौर नहीं किया कि रैस्पो0 श्रीमती भगवानदेई द्वारा अपने हकत्याग (रिलीजडीड) दिनांक 21.11.1997 को किसी सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं कराया है और ना ही उसके नाम से गलत रिलीजडीड किए जाने के संबंध में कोई

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

एफआईआर ही दर्ज कराई। इसके अलावा सक्षम न्यायालय में भी अपने खातेदारी अधिकारों के संबंध में कोई दावा पेश नहीं किया। इसके बावजूद अदालत मातहत द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है, जो कि गलत है। इस संबंध में वकील अपीलान्ट ने आर.आर.टी 2010 (2) पेज 1222–1223 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उक्त नजीर में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार नामांतकरण संबंधी कार्यवाही में निरस्त नहीं किए जा सकते। वरन् इसके लिए नियमित वाद ही केवल उपचार है। इसके अलावा असाधारण विलम्ब को भी ठोस व पर्याप्त कारण के बिना उचित नहीं माना गया है। इसी तरह आर.आर.टी 2012 (1) पेज 238 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि रिलीजडीड के आधार पर स्वीकृत किया गया नामांतकरण को सिविल न्यायालय द्वारा इस तरह के विलेख को शून्य अथवा अप्रभावी घोषित किए बिना निरस्त नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट दोनों के नाम विरासत का नामांतकरण खोला गया था, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किए गए लिखित स्टाम्प के आधार पर अपीलान्ट व उसकी माता के नाम नामांतकरण खोले जाने का आदेश दिया है जो कि नियमानुसार है, परन्तु अदालत मातहत द्वारा इस बिन्दु पर विचार किए बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि निरस्तनीय है। तहत अदालत द्वारा जो निर्णय दिनांक 19.3.2019 को पारित किया है उस पर न्यायालय की मुद्रा अंकित नहीं है ऐसी स्थिति में अदालत तहत का अपीलाधीन निर्णय पूर्ण निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं आदेश जेर अपील पारित करते समय इस कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं किया है कि उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत पथैना की तामील जरिये सचिव न कराकर जरिये सरपंच कराई गई है जबकि कानूनन ग्राम पंचायत के सचिव की तामील कराया जाना आवश्यक है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में नॉन जोईन्डर आफ पार्टीज के कमी के आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.03.2019 निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत की ओर से स्वीकृत किए गए नामांतकरण संख्या 1698 दिनांक 20.10.1999 को यथावत रखा जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि पटवारी हल्का द्वारा नामांतकरण सही भरा गया था, परन्तु ग्राम पंचायत की ओर से अपीलान्ट की ओर से पेश किए गए तथाकथित रिलीजडीड के आधार पर रैस्पोडेन्ट के नाम नामांतकरण नहीं खोले जाने का आदेश पारित किया है। जबकि रैस्पोडेन्ट की ओर से अपीलान्ट के हक में किसी प्रकार की कोई रिलीजडीड नहीं की गई है। इसके अलावा भी उप पंजीयक के कार्यालय से पंजीकृत रिलीजडीड के आधार पर ही हक त्याग माना जा सकता है। अपीलान्ट की ओर से जो तथाकथित रिलीजडीड ग्राम पंचायत व अदालत हाजा में पेश की गई है। उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त रिलीजडीड उप पंजीयक से

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पंजीबद्ध नहीं होकर नोटरी से करवाई गई है, जो कि वैद्यानिक रुप से मान्य नहीं है। रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में पेश की गई अपील में रैस्पोडेन्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.03.2019 को पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नहीं है, क्योंकि विद्वान उपखण्ड अधिकारी भुसावर द्वारा प्रकरण तहसीलदार भुसावर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि वे दोनों पक्षकारान को सुनने के बाद विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अपीलान्ट तहसीलदार भुसावर के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र हैं। जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में दिए गए इस तर्क का प्रश्न है कि अदालत मातहत ने मियाद बाहर अपील स्वीकार की है या मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित नहीं किया तो रैस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत में प्रस्तुत अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया था, जिसमें अपीलाधीन नामांतकरण की जानकारी दिनांक 05.11.2017 को रैस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से धनकी दिए जाने पर होने का उल्लेख करते हुए जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश किए जाने का उल्लेख किया गया था। इस आधार पर अदालत मातहत द्वारा रैस्पोडेन्ट की अपील को अन्दर मियाद मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इसके अलावा भी अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में न तो दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया और न ही काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि रैस्पोडेन्ट को अपीलाधीन निर्णय की पूर्व से जानकारी रही हो। अतः वकील अपीलान्ट की ओर से मियाद के बिन्दु के संबंध में की गई आपत्ति सारहीन है तथा इस तर्क के समर्थन में प्रस्तुत की गई नजीरों में वर्णित तथ्य इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। वकील रैस्पोडेन्ट ने आरबीजे (5) 1998 पेज 43 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि मृतक खातेदार के वारिसान के संबंध में पूर्ण जांच किए बिना विरासत के नामांतकरण को स्वीकृत किए जाने को उचित नहीं माना गया है। उक्त प्रकरण में केवल गोद पत्र के आधार पर नामांतकरण स्वीकार किए जाने को उचित नहीं मानकर प्रकरण पुनः जांच हेतु प्रेषित किया गया है। अदालत हाजा में लम्बित अपील में भी तथाकथित रीलिजडीड के आधार पर स्वीकृत किए गए नामांतकरण को निरस्त कर प्रकरण पुनः जांच हेतु तहसीलदार भुसावर को प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें कोई अनियमितता या अवैद्यानिकता नहीं है, क्योंकि नानान्तरकरण संख्या 1698 की पुश्त पर ग्राम पंचायत पथैना द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि प्रार्थी रोशनलाल ने अपनी बहिन भगवानदेई पुत्री गंगाशरन का लिखित स्टाम्प पेश किया जिसमें भगवान देई ने अपने पिता की भूमि से कोई हक नहीं लेना चाहती है। जबकि रैस्पोडेन्ट द्वारा इस तरह का कोई स्टाम्प अपीलान्ट के पक्ष में नहीं लिखा गया था और न ही किसी के पक्ष में भी अपनी पैतृक आराजी का कोई हक त्याग किया था। चूंकि अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत से साज कर नानान्तरकण अपने नाम स्वीकृत करा लिया था जबकि रैस्पोडेन्ट भी मृतक की विधिक वारिसान थी। उक्त नामांतकरण तस्दीक करने से पूर्व रैस्पोडेन्ट को ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार का

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के खिलाफ है। दौराने नामान्तरकरण स्वीकृति के ग्राम पंचायत द्वारा न तो विधिक वारिसों की जांच की गई और न ही तथाकथित रिलीजडीड पर अंकित गवाहों के बयान ही लिए गए।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत की ओर से स्वीकृत किए गए नामांतकरण संख्या 1698 दिनांक 20.10.1999 के विरूद्ध रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भुसावर के न्यायालय में अपील पेश किए जाने पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.03.1999 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 1698 दिनांक 20.10.1999 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार भुसावर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि दोनों पक्षकारों को सुनकर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है, क्योंकि रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया था। जिसमें अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक भी अदालत मातहत में उपस्थित हुए थे, परन्तु अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में न तो दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया और न ही किसी प्रकार का कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि रैस्पोडेन्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दफा 5 लिमिटेशन एक्ट में वर्णित दिनांक के पूर्व से रही हो। चूंकि अदालत मातहत द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया है। इसलिए वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में संदर्भित नजीर यथा आर.आर.टी 2010 (1) पेज 625–626 व आर.आर.टी 2010 (2) पेज 1222–1223 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होंगे, क्योंकि रैस्पोडेन्ट की ओर से अपील पेश करने का पर्याप्त व उचित कारण अदालत मातहत में प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा भी अदालत मातहत द्वारा मियाद के संबंध में लिए गए निर्णय को अपीलीय न्यायालय के स्तर से पुनः परीक्षण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो रैस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत में प्रस्तुत अपील में यह उल्लेख किया गया था कि उसके द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में किसी प्रकार की कोई रिलीजडीड या हक त्याग नहीं किया गया है। इस आधार पर अदालत मातहत में रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार भुसावर को प्रतिप्रेषित किया है, जो कि उचित है, क्योंकि पटवारी हल्का द्वारा विवादित भूमि के संबंध में नामांतकरण संख्या 1698 दिनांक 26.04.1999 अपीलान्ट, रैस्पोडेन्ट व मृतक खातेदार गंगाशरण की विधवा के नाम से खोला गया था। जिसको भू–अभिलेख निरीक्षक

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

द्वारा दिनांक 11.05.1999 को जांच में सही होने की टिप्पणी की। इस नामांतकरण को ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.10.1999 को अर्थात् पटवारी हल्का द्वारा नामांतकरण खोले जाने के लगभग 6 माह बाद यह नोट अंकित करते हुए आज दिनांक 20.10.1999 को दाखिल खरिज पंचायत के समक्ष पेश हुआ, जिसमें प्रार्थी रोशनलाल ने अपनी बहन भगवानदेई पुत्री गंगाशरण का लिखित स्टाम्प पेश किया। जिसमें भगवानदेई ने अपने पिता की भूमि में से कोई हक नहीं लेना चाहती है। इस आधार पर दाखिल खारिज रोशनलाल पुत्र गंगाशरण व केशमती वेवा गंगाशरण के नाम स्वीकृत किए जाने का आदेश दिया, जो कि गलत है। क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी हल्का की ओर से नामांतकरण भरे जाने की दिनांक से 45 दिन तक ही नामांतकरण तस्दीक किया जा सकता है। ग्राम पंचायत की ओर से नामांतकरण स्वीकृत किए जाने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच आदि भी नहीं की गई। इस संबंध में वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नजीर आर.बी.जे (5) 1998 पेज 43–44 में प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लेखनीय है। जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि खातेदार की मृत्यु के बाद केवल पंजीबद्ध गोदनामे के आधार पर स्वीकृत किए गए नामांतकरण को उचित नहीं माना है, क्योंकि मृतक खातेदार की अन्य वारिसान भी मौजूद थे, जिन्हें नामांतकरण स्वीकृत करने से पूर्व सुनवाई का उचित व पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था। इस आधार पर नामांतकरण निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त प्रकरण में भी ग्राम पंचायत की ओर से अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के आधार पर मृतक खातेदार के वारिसान को सुनवाई का अवसर दिए बिना नामांतकरण संख्या 1698 दिनांक 20.10.1999 स्वीकृत किया है जो कि उपरोक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। इसके अलावा भी अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में भगवानदेई की ओर से की गई रिलीजडीड की जो फोटोप्रति प्रस्तुत की है, वह पंजीबद्ध नहीं है। जबकि हक त्याग या रिलीजडीड उपपंजीयक से पंजीबद्ध होना आवश्यक है। अतः इस आधार पर भी ग्राम पंचायत की ओर से स्वीकृत किया गया नामांतकरण उचित नहीं माना जा सकता है। चूंकि विद्वान उप जिला कलक्टर भुसावर ने प्रकरण तहसीलदार भुसावर को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया है जो कि उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.03.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 05.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवरमल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर